

# उत्तर प्रदेश नर्सिंग एवं मिडवाइजिंग कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2235848, 2236800, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं. 5697/18

दिनांक 14/8/18

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
जी०एस० कॉलेज ऑफ नर्सिंग,  
पिपलाबन्दपुर,  
हापुड ।

विषय-बी०एस०सी० (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 20 सीट से बढ़ाकर 40 सीट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-4645/71-2-15-107/2007 दिनांक 19 फरवरी, 2016 एवं इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.04.2018 के क्रम में इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइजिंग कौन्सिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस-नर्सिंग (बी०एस०सी०-नर्सिंग) की 20 सीट से बढ़ाकर 40 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

अपने सस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश दिनांक 14.10.2005 द्वारा निर्धारित रू० 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) की बैंक गारन्टी तत्काल इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यह पुनः स्पष्ट है कि बिना बैंक गारन्टी जमा कराये प्रवेश न लें।

बौध्दिक सम्पत्ति विश्वविद्यालय से सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। बी०एस०सी०-नर्सिंग प्रशिक्षण संचालित हेतु प्रति वर्ष निरन्तरता/सम्बद्धता शुल्क के रूप में रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइजिंग कौन्सिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइजिंग कौन्सिल।

दिनांक-

पत्र संख्या-

प्रतिनिधि-कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.04.2018 की प्रति (संलग्न) कक्षे हुए इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अग्रगत होना चाहिए।

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइजिंग कौन्सिल।